

प्रकरण संख्या - 138/20  
G.C.M.S. no. - 2020/00342

12/01/21

प्रधाना पत्र हुई अपीलकर्ता केसियर उपस्थित  
केसियर प्रस्तुत हुए 30 दिवस से अधिक के अवधि  
की हो चुकी है किन्तु बाद में प्रस्तुत किए गए केसियर  
संबंधित की अपील प्रस्तुत नहीं हुई है अतः केसियर  
की अवधि समाप्त होने से प्रकरण में अग्रणी ट्राय  
की जाती है। प्रधाना के खल शुमार लेकर नंबर  
से काम है।



(कें.के.समी)  
जिला कमिश्नर  
चितीबनक